न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर

महेन्द्रा कुमारी बनाम भारत संघ जरिये मिलिट्री एस्टेट अधिकारी व अन्य

राजस्व विविध प्रार्थना पत्रः 06/2003

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
06.05.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीपक्ष द्वारा रेकरिंग कम्पन्सेशन निर्धारण हेतु अन्तर्गत धारा 24 डिफेन्स ऑफ इण्डिया एक्ट 1971 सपठित धारा 24 डिफेन्स एण्ड इन्टरनल सिक्योरिटी ऑफ इण्डिया एक्ट 1971 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की प्रार्थना प्त्र के इस न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र होने की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन किया गया तथा उभय पक्षकरान की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीपक्ष द्वारा रेकरिंग कम्पन्सेशन निर्धारण हेतु धारा 24 डिफेन्स ऑफ इण्डिया एक्ट 1971 सपठित धारा 24 डिफेन्स एण्ड इन्टरनल सिक्योरिटी ऑफ इण्डिया एक्ट 1971 के तहत पेश किया गया परंतु डिफेन्स एण्ड इण्डिया एक्ट 1971 की धारा 24 एवं डिफेन्स एण्ड इन्टरनल सिक्योरिटी ऑफ इण्डिया एक्ट 1971 की धारा 24 में जिला कलक्टर के रेकरिंग कम्पन्सेशन निर्धारण हेतु आर्बिट्रेटर/श्रवणाधिकार होने का उल्लेख नही है. इस बाबत प्रार्थी अधिवक्ता को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उक्त एक्ट में कम्पन्सेशन हेतु जिला कलक्टर के श्रवणाधिकार होने से संबंधित राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या माननीय उच्च न्यायालय या सक्षम स्तर द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 05.02.2025 को सुनी गई बहस में कहा गया ताकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार क्षेत्र का विधिअनुसार निर्धारण किया जा सके परंतु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में जिला कलक्टर के श्रवणाधिकार होने से संबंधित किसी प्रकार का आदेश/अधिसूचना प्रस्तुत नही किया गया। इसके अतिरिक्त प्रकरण में मुआवजा/कम्पन्सेशन प्रथमतया समक्ष प्राधिकारी (Competent Authority) द्वारा निर्धारित किया जाना था व सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम्पन्सेशन निर्णित हो जाने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) के विरूद्ध माध्यस्थम (Arbitrator) के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन करने पर कम्पन्सेशन सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) द्वारा निर्णित किया जा चुका है इसका किसी प्रकार का आदेश/साक्ष्य नही पाया गया। ऐसे में प्रकरण माध्यस्थम (Arbitrator) के स्तर पर पोषणीय नही है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रकरण/प्रार्थना पत्र में जिला कलक्टर का श्रवणाधिकार होने से संबंधित आदेश/अधिसूचना पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत भी पेश नही किया जाने से एवं कम्पनेशन सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) द्वारा निर्णित न होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 06.05.2025 को सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	